भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.203

दिनांक 14 **सितम्बर**, 2020

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि

203. **श्री के. मुरलीधरनः**
कुमारी राम्या हरिदासः
एडवोकेट ए.एम. आरिफः

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में लगातार वृद्धि कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान पेट्रोलियम, डीज़ल और घरेलू एलपीजी कीमतों में वृद्धि/कमी का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का वैश्विक स्तर पर एलपीजी की घटती कीमतों के मद्देनजर सब्सिडी प्राप्त एलपीजी सिलेंडर की कीमत, जो जुलाई 2019 के दौरान 494 रुपये से बढ़कर जुलाई 2020 में 594 रुपये हो गई है, को कम करने का विचार है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 और चालू वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के तहत एलपीजी सब्सिडी के रूप में भुगतान की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आम लोगों पर बोझ कम करने हेतु सरकार का विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को कम करने का विचार है और यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(**श्री धर्मेन्द्र प्रधान**)

(क): सरकार ने पेट्रोल और डीजल के मूल्यों को क्रमश: दिनांक 26.06.2010 और 19.10.2014 से बाजार निर्धारित बना दिया है। तब से, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यों और अन्य बाजार दशाओं के अनुरूप पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेती हैं। ओएमसीज ने मूल्यों को केवल बढ़ाया ही नहीं है अपितु तदनुसार कम भी किया है। सरकार राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी के उपभोक्ता के लिए प्रभावी मूल्य को आवश्यकतानुसार घटाती बढ़ाती रहती है।

(ख): पिछले दो वर्षों के लिए पेट्रोल और डीजल के मूल्य पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) की वेबसाइट अर्थात www.ppac.org.in पर तथा घरेलू एलपीजी के मूल्य आईओसीएल की वेबसाइट अर्थात www.iocl.com पर उपलब्ध हैं।

(ग): देश में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संबंधित उत्पादों के मूल्य से जुड़े हुए हैं। तथापि, सरकार राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी के उपभोक्ता के लिए प्रभावी मूल्य को आवश्यकतानुसार घटाती बढ़ाती रहती है और उपभोक्ताओं को उत्पाद राजसहायता प्राप्त दर पर प्राप्त होते हैं। राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी पर राजसहायता अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पाद मूल्य बढ़ने/कम होने तथा राजसहायता के संबंध में सरकार के निर्णय के अनुरूप बढ़ती/कम होती है।

(घ): वित्त वर्ष 2018-19 से लाभ का सीधा अंतरण योजना के तहत एलपीजी राजसहायता के रूप में भुगतान की गई धनराशि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21 (आज तक)
डीबीटीएल (पहल) राजसहायता	31,539	22,726	1,909

(ड.): जैसा ऊपर भाग (क) के उत्तर में बताया गया है।

****